ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 183-185

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

परवेज नगर के लघु कृषकों की पारिवारिक–सामाजिक स्थिति का अध्ययन

1. भानुप्रताप सिंह
2. प्रो0 इला साह

1. शोध अध्येता– समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय एस0एस0जे0 परिसर अल्मोडा,
2. विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, एस0एस0जे0 विश्वविद्यालय अल्मोडा, (उत्तराखण्ड) भारत

Received-16.11.2022, Revised-22.11.2022, Accepted-27.11.2022 E-mail: bhanuprataps535@gmail.com

सारांशः ***प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य जनपद बदायूँ के ग्राम परवेजनगर में निवासित लघु कृषकों की पारिवारिक सामजिक स्थिति का अध्ययन करना है। भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में रही है, इसलिए इसे ऐसा कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ भारत की आत्मा वसती है। आज भी देश की सम्पूर्ण जंनसख्या का 2/3 भाग गांव में निवास करती है। और कृषि तथा कृषि उद्योगों के द्वारा अपनी जीवकोंपार्जन करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषकों पर अर्थ व्यवस्था की प्रमुख जिम्मेदारी है, जब भी हम कृषकों के बारे में विचार करते है, तो उसका चेहरा जो हमेशा चिंता की लकीरों से घिरा रहता है। प्रेमचन्द्र ने कृषकों को अपने साहित्य का विषय बनाया। उनके विश्लेषण में भारत का सबसे बडा वर्ग कृषक ही रहा है। कृषक भारत की कृषि संस्कृति का मूल आधार है। कृषकों के बिना भारत की संस्कृति का कोई भी विश्लेषण अपूर्ण रहेगा।***

कुंजीभूत शब्द– लघु कृषक ,पारिवारिक तथा सामाजिक, कृषि प्रधान, जंनसख्या, कृषि उद्योगों, जीवकोंपार्जन, जनगणना।

ग्रामीण भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व भूमि के स्वामित्व को लेकर कृषकों का कोई स्थायी वर्ग नहीं है। राज्य का हस्तक्षेप न होने के कारण भूमि का स्वामित्व सम्पूर्ण गांव का होता था इसी कारण भारत का प्रत्येक गांव गणतंत्र की श्रेणी में आता था लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की बन्दोंबस्ती व्यवस्था में भूमि जोतने के लिए भूमि का ठेका कुछ ऐसे व्यक्तियों को दिया गया, जो जमीदार बन गए और भूमि का स्वामित्व गांव से हटकर सरकार के पास आ गया। इन्होंने वंशानुगत स्वामी बनते हुए जमींदारी व्यवस्था को विकसित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया जिससे भूमि सुधार आन्दोलन को एक नयी गति मिली और 1950 में जमींदारी प्रथा की समाप्ति के साथ ही पूर्व में अपनी जमीनों से बेदखल कृषकों को उनकी पूर्व स्थिति में लाने के अथक प्रयास किये जाने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है देश की अर्थव्यवस्था की उन्नती एंव प्रगति तभी संम्भव है, जब कृषि एंव कृषकों की स्थिति में सुधार हो।

विभिन्न समाजशास्त्रियों मानवशास्त्रियों द्वारा समय–समय पर कृषक एवं कृषक समाजों का अध्ययन कर उनकी दशा व दिशा को स्पष्ट किया गया है। इनमें वुल्फ (1966) वैरिगटन मूर (1967) ऐरीस्ट्रोक्स (1988) कैथलीन गफ (1974) जार्ज फॉस्टर क्रोबर, नार्बेक, डेनियल थार्नर, आन्द्रे बेतई, आर0एस0 फर्थ, देसाई, शनीन, धनागरे, रणजीत गुहा डेविड हार्डीमैन आदि प्रमुख हैं।

साहित्य सर्वेक्षण– कृषक समाज एक लघु स्तरीय सामाजिक संगठन है, जिसमें किसानों का वर्चस्व रहता है, क्रोबर ने इन्हें 'आंशिक समाज' (Partsociety) तथा जार्ज फॉस्टर ने आधा समाज (Half Society) नामों से संबोधित किया है। राबर्ट रेडफील्ड (1956) ने इन्हें आंशिक समाज के रूप में ही परिभाषित करते हुए लिखा है, ''वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमिपर नियंत्रण बनाये रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परम्परागत तरीकों का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्ही के समान होते हुए भी कुछ अधिक सभ्य प्रकार का होता है''

डेनियल थॉर्नर (1957) ''वे सभी ग्रामीण कृषकों की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी आजिवीका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। इसके अन्तर्गत छोटे खेतीहर, जो उत्पादन अपने तथा अपने परिवार के श्रम द्वारा करते हैं, इनके भूमिहीन कृषि, कृषि श्रमिक तथा पर्यवेक्षी कृषक आते हैं। सभी कृषक हैं'' संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और कृषक इसके कर्णधार व सूत्रधार हैं। यह भूमि से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जीवन निर्वहन अत्यधिक सरल ढंग से करते हैं। वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में कृषकों की कुल जनसंख्या 67.04 प्रतिशत है। समय–समय पर विभिनन विद्वानों द्वारा कृषकों का चाहे वे सीमान्त हो अथवा लघु का अध्ययन कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राबर्ट रैडफील्ड ने अपनी पुस्तक Peasanl Society and Culture (1956) कृषि कार्य करने वाले मानवीय समूह को कृषक अथवा किसानों की बस्ती के नाम से सबोंधित करते हुए, उनकी उद्विलासीय अवस्था को शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले, पशुपालक एवं चरवाहे तथा कृषि करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया है।

बी0आर0 चौहान की कृति ए राजस्थान विलेज (1967) में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कृषक समाज आर्थिक अवधारणा को तो स्पष्ट करती है, लेकिन इसमें सामाजिक, आर्थिक एंव प्रशासनिक संरचना को महत्व नहीं दिया है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

थियोडोर शनीन ने अपनी पुस्तक (Peasant and peasant Societies (1971) में स्पष्ट किया है कि कृषकों की लघु समुदायों के जीवन के ढंग से संबंधित विशिष्ट परम्परागत संस्कृति होती है। इन पर बाह्य व्यक्तियों का प्रमुत्व होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति निम्न होती है।

आन्द्रे बेतई (1974) Six Essay in Comparative Sociology के अनुसार, सही अर्थो में उन्हीं परिवारों को कृषक परिवार कहा जा सकता है, जिनके सभी सक्रिय सदस्य पुरूष एवं स्त्रियां खेतों में काम करते हैं। कृषक समाज को विद्वानों द्वारा अलग–अलग रूप से वर्गीकृत किया गया है, जिसका प्रमुख आधार उनके पास उपलब्ध भूमि को माना जाता है। वे कृषक जिनके पास कृषि योग्य भूमि एक हेक्टेयर से अधिक और दो हेक्टेयर से कम होती है अथवा जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि 5 एकड़ से कम होती है, को लघु कृषकों की श्रेणी में रखा जाता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ऐसे कृषकों का प्रतिशत 17.93 है,।

शोध प्रारूप– प्रस्तुत शोध जिला बदायूं के परवेज नगर में निवासित लघु कृषकों पर आधारित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इनकी वर्तमान पारिवारिक–सामाजिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व बड़ा जनपद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की कुल–3129000 है। इसमें 75 जिलों के साथ ही 18 मण्डल सम्मिलित हैं बदायूं में कुल 1663 गांव आते हैं। यह अध्ययन बदायूं जनपद के तहसील बिसौली, ग्राम परवेज नगर के लघु कृषकों पर केन्द्रित है। जनगणना 2011 के आधार पर ग्राम परवेजनगर की कुल जनसंख्या 4137 है, जिसमें क्रमशः 2179 एवं 1958 पुरूष व महिलाएं सम्मिलित हैं। लिंगानुपात 899 तथा साक्षरता दर 52.22 प्रतिशत है। राजस्व लेखपाल परवेजनगर से प्राप्त आकडों के आधार पर ग्राम में 111 लघु कृषक निवासित है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु संगणना पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध समस्त लघु कृषकों के 111 परिवारों को अध्ययन के लिए चुना गया है। अध्ययन प्रत्येक परिवार के मुखिया पर आधारित है मुखिया के रूप में पुरूष वर्ग को सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 30 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की है। तथ्यों का सकं लन प्र थमिक एवं द्वैतीयक दोनों आधारों पर किया गया है, प्राथमिक आधार पर तथ्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रश्नों की स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची बनाकर लघु कृषकों की पारिवारिक–सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया, जबकि द्वितीयक तथ्य के रूप में संबंधित विद्वानों द्वारा किये गये अध्ययन, संबंधित साहित्य, ग्रन्थ, समाचार पत्र–पत्रिकाएं, विभिन्न संकुलों, अभिलेखों व इण्टरनेट आदि का सहारा लिया गया है।

अध्ययन के उददेश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उददेश्य लघु कृषकों की पारिवारिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन ग्राम परवेज नगर के 111 परिवारों के मुखिया पुरूषों पर आधारित है। इन्हीं से विभिन्न प्रश्नों के आधार पर तथ्यों को प्राप्त कर लघु कृषकों के पारिवारिक–सामाजिक स्थितियों को वैज्ञानिकता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथम प्रश्न के आधार पर पाया गया कि चयनित लघु कृषकों में सर्वाधिक 32.44 प्रतिशत मुखिया कृषकों की आयु 46 से 53 के मध्य है। तत्पश्चात् 9.0, 14.11, 22.53 तथा 18.92 प्रतिशत कृषकों की आयु क्रमशः 32–29, 39–46, 53–60 तथा 60 से अधिक है। 86.49 प्रतिशत विवाहित तथा 13.51 प्रतिशत अविवाहित हैं। जैसा कि सर्वविदित है भारत गांवों का देश है और गांव संयुक्त परिवार प्रधान होते हैं। आज के परिवर्तित दौर में भी इन कृषकों के 60.36 प्रतिशत परिवार सयुंक्त परिवारों में निवास करते हैं, जबकि नाभिकीय परिवारों में रहने वाले कृषकों का प्रतिशत 39.64 पाया गया है। झोपड़ी में कोई भी किसान अपना जीवन निवर्हन नहीं करता, 76.57 प्रतिशत लघु कृषक जहां स्वयं के पास पक्का मकान होने की बात स्वीकारते हैं, जबकि 23.43 प्रतिशत कृषकों ने अर्द्धपक्का मकान होने की बात कही साक्षरता दर के अनुसार चयनित उत्तरदाताओं में 73.88 साक्षरता एवं 26.12 प्रतिशत कृषक निरक्षर हैं। लघु कृषकों के सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक अन्नदाता के रूप में स्वयं को समाज का एक सम्मानित सदस्य मानना स्वीकार किया है। 78.37 प्रतिशत अपनी स्थिति से संतुष्ट, 14.42 प्रतिशत असंतुष्ट तथा 07.21 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ अर्थात कुछ भी उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाये गये।

27.02 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे आज भी जीवन निवर्हन में प्राचीन प्रचलित परम्परागत तरीकों का पालन करते हैं, 40.54 प्रतिशत आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हैं, जबकि 32.44 प्रतिशत परम्परागत और आधुनिक दोनों प्रकार की जीवन शैली को जीवन निवर्हन का माध्यम बतलाते हैं।

जहां तक परिवार में मुखिया के नियंत्रण को स्वीकार करने की बात है तो आज भी 57.65 प्रतिशत इसे पूर्ण रूप से पालन करने की बात मानते हैं। 18.01 प्रतिशत अस्वीकार करते हैं और 24.34 प्रतिशत ने बतलाया कि यदि बात सही हो तो नियंत्रण को स्वीकर करते है, लेकिन यदि नियंत्रण अनुपयोगी हो, तो उसका विरोध भी करते हैं। इन्होंने अपने उत्तर को कभी–कभी विकल्प के रूप में चुना है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

नियंत्रण को स्वीकार करने वाले कृषकों में नहीं मानने वालों की तुलना में अधिक आयु वर्ग के पाये गये। वे मानते हैं कि आधुनिक समय में संचार माध्यमों के कारण मुखिया की बात को युवा वर्ग सुनने को तैयार नहीं होता। इन समाजों में पितृसत्तात्मक परिवारों को ही अत्याधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि अध्ययन में कोई भी मुखिया महिलाओं का न पाया जाना इसकी पुष्टि करता है। प्राप्त तथ्य भी इस बात के साक्षी हैं कि 69.36 प्रतिशत कृषक पुत्र अनिवार्यत पर विश्वास करते हें, बालिका शिक्षा को केवल इण्टरमीडिएट तक ही होनी चाहिए, पर विश्वास करते हैं, कारण के रूप में यहां तक की स्कूली शिक्षा गृह (गांव) में होने की बात कहते हैं लड़के–लड़कियों को साथ पढ़ाने के लिए भी यह असहमत पाये गये हैं।

54.35 प्रतिशत कृषक उत्तरदाताओं ने बालिकाओं को अधिक न पढ़ाने, 67.90 प्रतिशत ने सहशिक्षा की बात को अस्वीकार किया है। बाल विवाह को आज भी सही मानने वाले उत्तरदाताओं का 72.98 प्रतिशत, पर्दा प्रथा के पक्षधर 76.58 प्रतिशत तथ्यों के आधार पर पाया गया। जहां तक प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह सबंधी विचारों को जानने का प्रश्न है 71. 79 प्रतिशत इस पक्ष में नहीं हैं, 18.91 प्रतिशत ने प्रेम विवाह को उचित बतलाया लेकिन वे अपने धर्म से बाहर न होने की बात कहते हैं, जबकि 9.90 प्रतिशत ने कह नहीं सकते में अपने विचारों की पुष्टि की है।

जहां तक दहेज प्रथा की उपयुर्क्तता/अनुपयर्क्तता सबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें से सभी की राय में इसे अनुपर्युक्त तो माना गया लेकिन इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि बिना दहेज के लड़की की शादी संभव ही नहीं है। विवाह में योग्यता के स्थान पर लड़कें को जमीन, नौकरी, पशु आदि को महत्व दिया जाता है। अतः 84.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दहेज प्रथा को आवश्यक माना है, जबकि 15.31 प्रतिशत इसके पक्ष में तो नहीं है, वे इसका विरोध होना चाहिए, की बात कहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपनी स्थिति के अनुसार दहेज देने की बात को भी स्वीकारते हैं।

आज भी इन परिवारों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है और विवाह विच्छेद को समाज के लिए घातक माना जाता है अतः न तो यहां कोई विवाह विच्छेद संबंधी उत्तरदाता मिला और न ही कोई विघटित परिस्थितियों में भी विवाह–विच्छेद उचित मानने वाला ऐसे लोगों का प्रतिशत 100 पाया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि जनपद बदायूं के ग्राम परवेजनगर में निवासित 111 लघु परिवारों के मुखियाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्व में वर्णित विद्धानों द्वारा बतलायी गयी विशेषताओं के आधार पर उनकी पारिवारिक–सामाजिक स्थितियों में बदलाव आ रहा है, लेकिन इन्हें अपेक्षित नहीं कहा जा सकता है। परिवर्तन की यह गति काफी मन्द है।

आज परिवार संयुक्त से एकांक परिवारों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवारों में रहना ये आज भी यदि कोई अड़चन न आये तो पसन्द करते हैं। साक्षरता दर में वृद्धि, पक्के मकानों का अधिक पाया जाना, अपनी सामाजिक स्थिति से सतुंष्टि जैसे प्रश्नों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है। वही पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता, मुखिया का अंकुश, लड़कियों की पढ़ाई को अधिक महत्व न दिया जाना, पर्दा प्रथा को परम्परागत मानते हुए आज भी स्वीकार करना, बाल विवाह योग्य वर मिलने की स्थिति में किया जाना, दहेज को बुराई के रूप में स्वीकार करने के बाद भी दहेज दिया जाना, सहशिक्षा को लड़कियों के लिए अनुपयोगी मानना आदि ऐसे तथ्य है, जो उनमें प्राप्त उत्तरों के परिणामों के आधार पर नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं।

अर्न्तजातीय विवाह को अनुचित मानना, तलाक को पूर्ण रूप से अस्वीकार मानना तथा इसे पवित्र संस्कार के रूप में मान्य माना जाना इसकी परम्परागत जीवन शैली को प्रदर्शित करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Redfield P Easant 1956 Pijent Society & Culture, University of ChicagoPress Page 29
2. Thornier Daniel 1957 The Agrarian Prospects of india Delhi University Press
3. Chauhan B.R. 1967 A Rajasthan Village New Delhi Publishing Page 287
4. Shanin Theodor 1971 Peasants & Peasant Societies, Penguin Books.
5. JagranJosh 04-04-2017

*****